आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · Internal Security Division-II (VTV Section), Ministry of Home Affairs

# Central Scheme for Assistance to Civilian Victims/Family of Victims of Terrorist/Communal/Left Wing Extremism (LWE) Violence, Cross Border Firing and Mine/IED Blasts on Indian Territory (CSACV)

गृह मंत्रालय आतंकवादी, सांप्रदायिक या वामपंथी उग्रवाद हिंसा, सीमा पार गोलीबारी और बारूदी सुरंग या आईईडी विस्फोट में मारे गए नागरिकों के परिवारों और स्थायी रूप से अक्षम हुए पीड़ितों को तय राशि देने पर राज्यों को खर्च लौटाता है।

## क्या मिल सकता है

24.08.2016 से पहले की घटनाओं में हर मृत्यु या स्थायी अक्षमता पर 3 लाख रुपये, और 24.08.2016 या उसके बाद की घटनाओं में 5 लाख रुपये। आधी राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बचत खाते में और आधी 3 साल की लॉक-इन अवधि वाली सावधि जमा में जाती है; परिवार में केवल नाबालिग बच्चे हों तो अवधि और लंबी हो सकती है। बच्चों की उच्च शिक्षा, पहला घर बनाने या महँगे इलाज के लिए लॉक-इन में छूट मिल सकती है। पीड़ित और परिवार को चोटों और बड़ी बीमारियों के मुफ़्त इलाज के लिए स्वास्थ्य कार्ड भी मिलता है।

## किसके लिए है

वह नागरिक जो आतंकवादी, सांप्रदायिक या वामपंथी उग्रवाद हिंसा, सीमा पार गोलीबारी या भारतीय क्षेत्र में बारूदी सुरंग या आईईडी विस्फोट में 50 प्रतिशत या अधिक स्थायी अक्षमता का शिकार हुआ, या मारे गए नागरिक के निकटतम परिजन।

## मुख्य शर्तें

- घटना पाँच प्रकार की होनी चाहिए: आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, वामपंथी उग्रवाद हिंसा, सीमा पार गोलीबारी, या भारतीय क्षेत्र में बारूदी सुरंग या आईईडी विस्फोट।
- सहायता मृत्यु या 50 प्रतिशत या अधिक स्थायी अक्षमता पर है। मृत्यु में यह निकटतम परिजन (जीवित जीवनसाथी या आश्रित बच्चे, या जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणित) को मिलती है।
- कोई आय सीमा नहीं है, और विदेशी नागरिक व अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं।
- हिंसा करने वाले और उनके परिवार पात्र नहीं हैं, और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मी इसमें शामिल नहीं हैं।

## दस्तावेज़

- पीड़ित और लाभार्थी का फ़ोटो पहचान पत्र (जैसे आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन या पासपोर्ट)
- एफ़आईआर की प्रति
- मृत्यु प्रमाणपत्र, या स्थायी अक्षमता की स्थिति में चिकित्सा प्रमाणपत्र
- पीड़ित से रिश्ते का प्रमाण, और लाभार्थी नाबालिग हो तो जन्म प्रमाणपत्र
- सादे कागज़ पर वचनपत्र कि राशि पूरे परिवार के कल्याण में लगाई जाएगी

## आवेदन कैसे करें

1. मंत्रालय जनता से आवेदन नहीं लेता। जिस ज़िले में घटना हुई, वहाँ के ज़िला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या उपायुक्त के कार्यालय में संपर्क करें।
2. ज़िला स्तरीय समिति एफ़आईआर, पोस्टमार्टम या चिकित्सा प्रमाणपत्र और दावेदार की पहचान जाँचती है, और ज़िला मजिस्ट्रेट सीधे बैंक हस्तांतरण से राशि जारी करता है।
3. इसके बाद राज्य मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर यह राशि वापस माँगता है। कोई भी व्यक्ति किसी पीड़ित या घटना की सूचना राज्य सरकार या ज़िला मजिस्ट्रेट को दे सकता है।

## स्थिति

चालू

**आधिकारिक स्रोत:** https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2025-12/CSACV2022FAQ_26122025.pdf
**आधिकारिक PDF:** https://www.mha.gov.in/sites/default/files/2025-12/CSACV2022FAQ_26122025.pdf
**Labh Lo पेज:** https://labhlo.in/hi/schemes/central/csacv-civilian-victims-violence-assistance/

**Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।**
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।